संख्या-154 /2026/950/35-4-2026/35-4099/53/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 05 जून, 2026

विषय:- जनपद कानपुर देहात में वित्तीय वर्ष 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कार्य की अवशेष धनराशि एवं 6 प्रतिशत जी0एस0टी0 अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत जनपद कानपुर देहात में वित्तीय वर्ष 2021-22 में शासनादेश संख्या-122/2021/1233/35-4-2021, दिनांक 09 अगस्त, 2021 द्वारा 03 स्वीकृत निर्माण कार्यों में से प्रश्नगत कार्य (शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2021 के क्रमांक-01 पर अंकित) हेतु अनुमोदित लागत रू0 432.16 लाख (12% जी0एस0टी0 सहित) के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 216.08 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- जिलाधिकारी जनपद कानपुर देहात के पत्र सं0-454/त्वा0आ0वि0यो0/परौख/2025-26 दिनांक 30 अक्टूबर, 2025 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत कार्य हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि का उपभोग किया जाना सूचित करते हुए अवशेष धनराशि एवं 06 प्रतिशत जी0एस0टी सहित धनराशि रू0 166.23 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 09.08.2021 के क्रमांक-1 पर 69 परियोजनाओं हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त परियोजनाओं मे से 06 परियोजनाए अन्य योजना से पूर्ण हो जाने के कारण उनके निरस्तीकरण हेतु शासनादेश संख्या-147/2026/1013/35-4-2025/35-4099/53/2021 दिनांक 26.05.2026 निर्गत किया गया है। अत: शेष 63 परियोजनाओं की अनुमोदित लागत को 18 % जी0एस0टी0 दर टेण्डर की लागत पर सम्मिलित करते हुये रूपये 382.31 लाख की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान करते हुये, पूर्व में अवमुक्त धनराशि को समायोजित कर अवशेष धनराशि रू 166.23 लाख अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपए लाख में)

कार्य का नाम	**पुनरीक्षित अनुमोदित लागत (जी0एस0टी0 18% सहित)**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
ग्राम परौंख एवं उसके मजरों में सी0सी0 व नाली निर्माण का कार्य-(63 परियोजनाओं हेतु)	382.31	216.08	166.23

1. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 09 अगस्त, 2021 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2027 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2027 तक नियोजन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 03 माह में अर्थात 30 जून, 2027 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक- 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि **रू0 166.23 लाख (रूपये एक करोड छियासठ लाख तेईस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखा शीर्ष-5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है। संदर्भित शासनादेश दिनांक 09 अगस्त,2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

संख्या-154/2026/950(1)/35-4-2026/35-4099/53/2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जीउ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल।
8. प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग ।
9. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर देहात ।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन।
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर देहात ।
13. अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कानपुर देहात ।
14. नोडेल अधिकारी, बजट आबंटन प्रणाली, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।